न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2018 **दायरा दिनांक : 22.01.2018**

उनवान

हंसराज पुत्र गौरीशंकर, जाति सुनार, निवासी राजपुरा वार्ड बारां,

.... अपीलांट

बनाम

1— धनराज पुत्र प्रेमनारायण, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

2— चन्द्रकलां पुत्री प्रेमनारायण, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

3— संतरा पुत्री प्रेमनारायण, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

4— सीमा पुत्री प्रेमनारायण, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

5— ईलायचीबाई पत्नी रघुवीर, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

6— संगीता पुत्री रघुवीर, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

7— गिर्तेश पुत्र रघुवीर (नाबालिग) जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां जर्ये संरक्षण माता ईलायची बाई पत्नी रघुवीर, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

8— इन्द्रराज पुत्र रघुवीर (नाबालिग) जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां जर्ये संरक्षण माता ईलायची बाई पत्नी रघुवीर, जाति जागा, निवासी बमूलिया (गजनपुरा), तहसील बारां, जिला बारां

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 5 लगायत 9 की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 13/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 5 लगायत 8 की ओर से एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया । अपीलांट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि पूर्व में खाता संख्या 98 की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 11 रकबा 1.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.52 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 6.65 हेक्टर में से खसरा नम्बर 57 रकबा 0.52 हेक्टर व खसरा नम्बर 44 रकबा 1.26 हेक्टर प्रमोद जैन पुत्र उम्मेदमल जैन, जाति महाजन के खाते में बंटवारे से दर्ज कर दी गई । इसी प्रकार रेस्पोडेंट के खाते खसरा नम्बर 4 रकबा 0.82 हेक्टर व खसरा नम्बर 56 रकबा 0.22 हेक्टर दर्ज कर दी गई, इसी प्रकार रामनारायण पुत्र सरिया के खाते खसरा नम्बर 46 रकबा 1.13

हेक्टर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.22 हेक्टर, हजारीलाल पुत्र औंकार के खाते खसरा नम्बर 11 रकबा 0.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.85 हेक्टर तथा रामपाल पुत्र औंकार के खाते खसरा नम्बर 11 रकबा 0.82 हेक्टर दर्ज कर दी गई । खसरा नम्बर 56 रकबा 0.44 हेक्टर का बेचान जमाबंदी सम्वत 2069–72 के अनुसार पूर्व खातेदारान द्वारा अपीलांट को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन कराया जा चुका था तथा नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 21.08.2012 से उसका नाम दर्ज किया जा चुका था जिसका अमल जमाबंदी संख्या 98 में किया जा चुका था फिर भी पूर्व खातेदारान द्वारा आपसी बंटवारे में खसरा नम्बर 56 गलत रूप से लिया गया व रेस्पोंडेंटगण द्वारा भी गलत रूप से उसका बंटवारा किया गया व बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये रेस्पोडेंटगण के मध्य बंटवारा कर दिया गया जिसकी अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2016 को पारित कर खसरा नम्बर 56 सभी रेस्पोडेंटगण के हिस्से में अलग अलग रकबे के रूप में दर्ज कर दिया गया जो बिना अपीलांट के सुनवाई किये किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर विधि सम्मत सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.12.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

इसके साथ ही अपील में धारा 96 व सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी का बेचान किया जा

चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलांट को सुनवायी का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया था । बंटवारे का दावा था । जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है । अपील गम्भीर रूप से विलम्ब से पेश किया गया है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है । नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 में खसरा नम्बर 56 रकबा 0.44 हेक्टर जिसका विभाजन दिनांक 12.07.2012 को किया जा चुका है जिसमें से 0.22 हेक्टर उत्तरी भाग

धनराम पुत्र प्रेमनारायण वगैर एवं दक्षिण भाग 0.22 हेक्टर नारायण पुत्र सरया के हिस्से में आना बताया गया है । तत्पश्चात धनराज पुत्र प्रेम नारायण के द्वारा खसरा नम्बर 55 रकबा 0.22 हेक्टर का बेचान हंसराज वगैरह के पक्ष में किया जाना पाया गया है परन्तु उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें पुनः खसरा नम्बर 56 रकबा 0.22 हेक्टर जो कि धनराज पुत्र प्रेमनारायण के द्वारा हंसराज आदि को बेचान किया गया है उसे पुनः शामिल करते हुए विभाजन किया गया है जो प्रथम दृष्टया अनुचित है एवं इसी आधार पर इसको पुनः रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः तहसीलदार के द्वारा इसका विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर समस्त पक्षकारों की सुनवायी करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा